

**न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट म.प्र.**

आप. प्रक. क्रमांक 1326/15
संस्थित दिनांक 30.12.2015
फा. नंबर-234503015432015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बिरसा
जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोजन ।

विरुद्ध

लालजी पिता चंदू मरकाम, उम्र-21 साल,
निवासी-दरबारीटोला वार्ड नंबर 23 थाना बिरसा
जिला बालाघाट म0प्र0 ।

.....अभियुक्त ।

--::निर्णय::--

--::दिनांक **19.02.2018** को घोषित::--

01- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 380 सहपठित धारा-511 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 19.12.2015 अथवा 20.12.2015 दरमियानी रात सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक बिरसा थाना बिरसा जिला बालाघाट में फरियादी अशोक कुदरिया शाखा प्रबंधक सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक बिरसा में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि गृह भेदन कर फरियादी अशोक कुदरिया शाखा प्रबंधक के आधिपत्य के सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक बिरसा में लॉकर का हेंडल तोड़कर रकम/दस्तावेज चुराने का प्रयत्न किया ।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी अशोक कुमार कुदरिया ने दिनांक 23.12.2015 को थाना आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि उसने दिनांक 19.12.2015 को शाम के 06:00 बजे बैंक बंद कर दिया था तथा दिनांक 21.12.2015 के 10:15 बजे सफाई कर्मचारी लखन पंचेश्वर के साथ बैंक आकर सामने का सटर गेट चैनल का ताला खोलकर बैंक के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि कमरे का ताला कुंदा सहित निकला हुआ था, तिजोरी का लॉकर टूटा हुआ, अन्दर वाला सी.सी.टी.वी. कैमरा टूटा हुआ, संडास, बाथरूम वाले कमरे की खिड़की में लगी लोहे की जाली की पट्टी कटी हुई लकड़ी का पल्ला निकला हुआ व अंदर के चैनल गेट कुंदा सहित टूटा हुआ था। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा खिड़की की लोहे की पट्टी काट कर अंदर प्रवेश किया गया था। उक्त रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का नजरी नक्शा बनाया गया। फरियादी एवं गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गए। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03— अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 380 सहपठित धारा-511 के अपराध के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.12.2015 अथवा 20.12.2015 दरमियानी रात सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक बिरसा थाना बिरसा जिला बालाघाट में फरियादी अशोक कुदरिया शाखा प्रबंधक सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक बिरसा में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि गृह भेदन किया ?

2. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी अशोक कुदरिया शाखा प्रबंधक के आधिपत्य के सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक बिरसा में लॉकर का हैंडल तोड़कर रकम/दस्तावेज चुराने का प्रयत्न किया ?

—:सकारण निष्कर्ष:—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02

उक्त विचारणीय प्रश्न परस्पर संबंधित होने के कारण साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

05— साक्षी अशोक कुमार कुदरिया अ.सा.01 ने कहा है कि वह हाजिर न्यायालय आरोपी को नहीं पहचानता है। घटना 19 दिसंबर 2015 को दिन शनिवार की है। बैंक उसने शाम को 06:00 बजे बंद कर दिया था। दूसरे दिन रविवार होने के कारण बैंक बंद था। फिर सोमवार को वह सुबह ऑफिस गया तो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लखन ने जब ताला खोला और अंदर जाकर देखा तो पीछे साईड की खिड़की टूटी हुई थी। सटर खुला हुआ था एवं कमरे की आलमारी का ताला कुंदा सहित टूटा पड़ा था और अंदर जाकर दूसरे कमरे में देखा तो सी.सी.टी.वी. कैमरा टूटा हुआ था, जिसकी सूचना उसने थाना बिरसा में लिखित रूप से दिया था। प्र.पी.01 की लिखित सूचना पर उसके द्वारा थाना बिरसा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर प्र.पी.02 लेख कराया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटनास्थल पर आई थी। प्र.पी.03 का मौका-नक्शा उसकी निशादेही पर पुलिस ने तैयार किया था। पुलिस ने उसके समक्ष एक टूटा हुआ कैमरा, लोहे की राड, लोहे की पट्टी कटी हुई, लोहे का कुंदा, लॉकर सेप का कुंदा जप्त किया था, जो प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

पुलिस ने जो पहचान पंचनामा बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने जो पहचान पंचनामा बनाया था, उसमें आरोपी लालसिंह के सी.सी.टी.वी. फुटेज में देखकर पहचान लिया था, ऐसी जानकारी से लगी थी। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06— साक्षी अशोक कुमार कुदरिया अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2015 को किया था, उसने पुलिस थाना बिरसा में घटना की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2015 को बुधवार के दिन किया था। घटना की जानकारी उसे दिनांक 21.12.2015 को सुबह दस बजे बुधवार के दिन किया था। घटना की जानकारी उसे दिनांक 21.12.2015 को सुबह दस बजे हो गई थी। उनकी बैंक एवं पुलिस थाना बिरसा की दूरी लगभग आधा किलोमीटर है। यह अस्वीकार किया है कि उसने दिनांक 21.12.2015 को घटना की सूचना जानकारी तुरंत बाद थाना में नहीं किया था। साक्षी के अनुसार उसने घटना की सूचना तुरंत थाने में दिया था, उसके बाद दिनांक 23.12.2015 को थाना से एक पुलिस वाला आकर उसे बताया कि चोर पकड़ में आ गया है और घटना की रिपोर्ट दर्ज करवा दो, तब उसने लिखित रिपोर्ट दिया था।

07— साक्षी अशोक कुमार कुदरिया अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि उसने दिनांक 23.12.2015 को एक बजकर बीस मिनट के पहले पुलिस थाना बिरसा में घटना की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्र.पी.04 की जप्ती पत्रक दिनांक 23.12.2015 को तैयार किया था, पुलिस ने सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज के आधार पर पहचान की कार्यवाही उसके समक्ष नहीं करवाई थी, पहचान की कार्यवाही में कौन लोग थे उसे जानकारी नहीं है, अदालत में हाजिर आरोपी को उसने इसके पहले कभी नहीं देखा है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसकी बैंक में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी वह अपनी कुछ गलतियों को छुपाने के लिए उसने पुलिस थाना बिरसा में मनगढ़ंत रिपोर्ट की है।

08— लखनलाल पंचेश्वर अ.सा.02 ने कहा है कि वह हाजिर न्यायालय आरोपी को पहचानता है। वह प्रार्थी अशोक कुमार कुदरिया को भी जानता है। घटना 19 दिसंबर 2015 की है। वह ग्रामीण बैंक शाखा बिरसा में सफाई कर्मचारी है। दिन सोमवार को सुबह वह ऑफिस गया, तो ऑफिस का ताला खोला और अंदर जाकर देखा तो पीछे का चेनल गेट एवं खिड़की टूटी हुई थी, जिसकी सूचना उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी अशोक कुदरिया को बताया, फिर उन्होंने थाना बिरसा में लिखित रूप से रिपोर्ट किया था। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसके सामने पुलिस ने टूटा हुआ दीवाल केमरा, टूटा हुआ लॉकर का कुंदा और सटरमेट के लोहे के कुंदे की पट्टी जप्त किया था, जो प्र.पी.04 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

09— लखनलाल पंचेश्वर अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्र.पी.04 के दस्तावेज में क्या लिखा है वह आज नहीं बता सकता, प्र.पी.04 का दस्तावेज उसके सामने तैयार नहीं किया गया था। उसने प्र.पी.04 के दस्तावेज में पुलिस थाना बिरसा में दस्तखत किया था। पुलिस ने उसे प्र.पी.04 का दस्तावेज पढ़कर नहीं बताया था। यह स्वीकार किया है कि दिनांक 21.12.2015 को प्र.पी.04 के दस्तावेज में हस्ताक्षर किया था। साक्षी के अनुसार घटना 21 तारीख को हुई थी और 23 तारीख को उसने हस्ताक्षर किया था। यह स्वीकार किया है कि आरोपी की दादी सुंदरीबाई का खाता उनके बैंक में है। यह अस्वीकार किया है कि आरोपी अपनी दादी के साथ रुपये आहरण हेतु बैंक आता था, इसलिये वह उसे पहचानता है।

10— साक्षी मुकेश सोनी अ.सा.03 ने कहा है कि वह आरोपी लालजी को जानता है। वह उसके गांव का है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके समक्ष कुछ जप्ती की कार्यवाही नहीं किया था। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 23.12.2015 को वह सेंट्रल म0प्र0 ग्रामीण बैंक शाखा बिरसा में पैसों का लेन-देन करने बैंक परिसर गया था, बिरसा पुलिस द्वारा उसके सामने घटनास्थल से प्रार्थी अशोक कुदरिया के पेश करने पर एक केमरा, कटी हुई सलाख, टूटा हुआ सटर का कुंदा और लॉकर का टूटा हुआ हेंडल सी.क्यू.आई.बी. फुटेज की सी.डी. जप्त कर प्र.पी.04 बनाया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी.04 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उसे इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.05 पुलिस को न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस ने प्र.पी.04 के दस्तावेज में उसके हस्ताक्षर लेने के पहले से पढ़कर नहीं बताया था, पुलिस ने उसे उक्त दस्तावेज किस संबंध में बनाया गया है नहीं बताया गया था। उसके बस स्टेण्ड बिरसा में चाय की दुकान है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसकी दुकान में पुलिस वाले भी चाय पीने आते रहते हैं तथा उसने पुलिस के कहने पर उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया था।

11— साक्षी योगेश कुमार बिसेन अ.सा.04 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब एक साल पूर्व ग्राम मोहगांव ग्रामीण बैंक की है। घटना के समय वह दुकान खोलने आया तो पास के ग्रामीण बैंक में भीड़ लगी हुई थी। उसे जानकारी लगी कि बैंक में चोरी की घटना हुई है। इसके अलावा उसे घटना के संबंध में अन्य जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के समय उसने बैंक में जाकर देखा था तो सेफ के कमरे के दरवाजे का कुंदा ताला सहित निकला हुआ, सैफ का हेंडल टूटा हुआ तथा सी.सी.टी.वी. केमरा टूटा पड़ा

था तथा बारूथम के कमरे का शटर कुंदा टूटा तथा खिड़की की जाली की रॉड कटी हुई थी।

12— साक्षी सुरेश धुर्वे अ.सा.05 ने कहा है कि वह हाजिर आरोपी को नहीं जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की थी। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कुछ जप्त नहीं किया था और ना ही आरोपी को गिरफ्तार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक 23.12.15 को समय 17:45 बजे बिरसा पुलिस द्वारा उसे तहसील ऑफिस के पास मोबाईल पर फोटो दिखायी तो उसने आरोपी को पहचान लिया, जिसे पुलिस ने उसके सामने गिरफ्तार किया और पूछताछ करने पर उसके सामने बैंक में चोरी करने की बात स्वीकार की, पुलिस ने आरोपी के बताये अनुसार घर के पलंग के नीचे रखे लोहे की सबल तथा मोबाईल जप्त किया, आरोपी ने उसके समक्ष मध्यप्रदेश सेंट्रल बैंक शाखा बिरसा में चोरी करने की नियत से प्रवेश कर लॉकर में छेड़-छाड़ सी.सी.टी.वी. कैमरा तोड़-फोड़ खिड़की की सलाख एवं शटर का कुंदा तोड़कर अपराध करने का प्रयास स्वीकार किया। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.06 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी के मेमोरेण्डम कथन लेख किये थे, परंतु मेमोरेण्डम प्र.पी.07 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, पुलिस ने उसके समक्ष ग्राम दरबारीटोला में आरोपी द्वारा घर से निकालकर पेश करने पर एक आरी की पत्ती लोहे की सबल, रॉड, कार्बन कम्पनी का मोबाईल तथा वस्त्र जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.08 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था, परंतु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.09 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, पुलिस ने उसके समक्ष सी.सी.टी.वी. फुटेज लेकर मोबाईल फोन पर दिखाकर आरोपी का पहचान पंचनामा तैयार किया था, परंतु पहचान पंचनामा प्र.पी.10 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

13— साक्षी सुरेश धुर्वे अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस ने कभी भी सी.सी.टी.वी. फुटेज एवं मोबाईल में फोटो दिखाकर आरोपी के पहचान की कार्यवाही उससे नहीं करवाई है, पुलिस ने उससे जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाये थे वह सब कोरे कागज थे, उसने प्र.पी.7 लगायत प्र.पी.10 में हस्ताक्षर पुलिस थाना बिरसा में किया था, जब उसने उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था, उस समय वहाँ पर पुलिस वाले ही थे, पुलिस ने उसके हस्ताक्षर लेते समय यह भी नहीं बताया था कि उसके हस्ताक्षर किस संबंध में ले रहे है, वह किसी एक्सीडेंट के केस में समझौता के लिए थाना गया था, तब उसके हस्ताक्षर लिये थे, वह पुलिस के साथ कभी भी ग्राम दरबारीटोला या बैंक में नहीं गया था।

14— साक्षी प्रमोद अ.सा.08 ने कहा है कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपी को नहीं जानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे और ना ही उसके समक्ष कोई पहचान पंचनामा तैयार किया था। न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि सहायक उपनिरीक्षक राजधर दुबे द्वारा उसके समक्ष सुरेश तथा महेन्द्र को सी.सी.टी.वी. फुटेज दिखाकर आरोपी की पहचान नहीं करवाई थी, परंतु पहचान पंचनामा प्र.पी.10 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15— साक्षी महेन्द्र अ.सा.09 ने कहा है कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपी को नहीं जानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे और ना ही उसके समक्ष कोई पहचान पंचनामा तैयार किया था। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी के मेमोरेन्डम कथन लेख नहीं किये थे और ना ही उसके समक्ष कोई जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी। न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि सहायक उपनिरीक्षक राजधर दुबे द्वारा उसे तथा सुरेश को सी.सी.टी.वी. फुटेज दिखाकर आरोपी की पहचान नहीं करवाई थी, परंतु पहचान पंचनामा प्र.पी.10 के डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी के मेमोरेन्डम कथन लेख नहीं किये थे और ना ही आरोपी ने उसके समक्ष यह बताया था कि घटना में प्रयोग किये गये सब्बल, आरी की पत्ती, टॉर्च, मोबाईल, कपड़े, पलंग के नीचे छुपाकर रखा है, चलो चलकर बरामद करा देता है, परंतु मेमोरेन्डम प्र.पी.07 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष वार्ड नंबर 30 दरबारीटोला बिरसा में आरोपी द्वारा घर से निकाल कर देने पर उक्त सामग्री जप्त कर जप्ती पत्रक नहीं बनाया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.08 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार नहीं किया था, परंतु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.09 के डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने बिरसा थाने में काम के दौरान जाने पर उससे उक्त कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये थे, परंतु उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं हुई थी।

16— साक्षी सोमलाल कावरे अ.सा.07 ने कहा है कि वह दिनांक 23.12.2015 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी अशोक शाखा प्रबंधक सेंट्रल म0प्र0 ग्रामीण बैंक बिरसा द्वारा लिखित आवेदन देने पर उसके द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 130/15 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा-457, 511 भा.द.वि. लेखबद्ध की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट लेखबद्ध करने के पश्चात उसके द्वारा अग्रिम विवेचना हेतु थाना प्रभारी को डायरी प्रस्तुत की गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा अज्ञात आदमी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी, फरियादी द्वारा घटना के संबंध में लिखित

आवेदन प्रस्तुत किया गया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा फरियादी से मिलकर अपने मन से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।

17— साक्षी राजधर दुबे अ.सा.06 ने कथन किया है कि वह दिनांक 23.12.2015 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 130/15 अंतर्गत धारा-457, 511 भा.दं०सं० की केस डायरी प्राप्त होने पर उसके द्वारा घटनास्थल बैंक जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रार्थी अशोक की निशादेही पर तैयार किया गया था, जो प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा बैंक से फूटेज प्रदान किये जाने हेतु आवेदन दिया गया था, जिसकी सी.डी. उसे प्राप्त हुई थी, जो प्रकरण में संलग्न है। उक्त फूटेज को उक्त दिनांक को ही गवाह सुरेश धुर्वे एवं महेन्द्र सिंह मरकाम के समक्ष चलाकर उसने फूटेज में दिख रहे व्यक्ति की पहचान करवाई थी, जिसे मोबाईल फोन पर देखकर गवाहों ने आरोपी को पहचान लिया था। उक्त पहचान पंचनामा प्र.पी.10 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके उपरांत बैंक कर्मचारी अशोक से गवाह लखनलाल पंचेश्वर एवं मुकेश सोनी के समक्ष लोहे की पट्टी, एक लोहे का कूँदा, लॉकर सेफ का टूटा हुआ कूँदा, दीवार से टूटा हुआ कैमरा, जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया था, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18— साक्षी राजधर दुबे अ.सा.06 के अनुसार उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी लालजी मरकाम के मेमोरेन्डम कथन ब्लाक ऑफिस बिरसा में गवाह सुरेश तथा महेन्द्र के समक्ष लेख किये गये थे, जिसमें उसने बताया था कि घटना में प्रयुक्त सामग्री एक आरी की लोहे की पत्ती, लोहे का सब्बल, एक काले रंग का चालू हालत में टार्च लगा हुआ मोबाईल, एक भूरे रंग का ईनर एवं काले रंग का चड्डा अपने घर में पलंग के नीचे छुपाकर रखा है, चलो चलकर बरामद करा देता हूँ। उक्त मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.07 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके पश्चात उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी लालजी मरकाम के पेश करने पर साक्षी सुरेश धुर्वे तथा महेन्द्र सिंह मरकाम की उपस्थिति में एक आरी की लोहे की पत्ती, लोहे का सब्बल, एक काले रंग का चालू हालत में टार्च लगा हुआ मोबाईल, एक भूरे रंग का ईनर एवं काले रंग का चड्डा जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.08 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी अशोक, गवाह लखनलाल पंचेश्वर, योगेश बिसेन एवं दिनांक 26.12.2015 को गवाह मुकेश सोनी, महेन्द्र मरकाम, सुरेश गोंड, कृष्णा यादव, प्रमोद पवार के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी लालजी मरकाम को गवाह सुरेश धुर्वे एवं महेन्द्र सिंह मरकाम के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्र प्र.पी.09 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय को प्रेषित किया गया था।

19— साक्षी राजधर दुबे अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्र.पी.03 मौका-नक्शा की कार्यवाही उसके द्वारा घटनास्थल पर नहीं की जाकर पुलिस थाने में बैठकर की गई थी, प्र.पी.10 की पहचान कार्यवाही का पंचनामा उसने अपने मन से थाने में बैठकर तैयार कर लिया था, उसके द्वारा उक्त कार्यवाही के गवाहों के हस्ताक्षर बाद में करवाये गये थे, उक्त कार्यवाही करते समय उक्त गवाह उपस्थित नहीं थे, आरोपी लालजी मरकाम ने प्र.पी.07 के अनुसार कोई मेमोरेन्डम कथन नहीं दिया था, प्र.पी.07 की कार्यवाही उसके द्वारा अपने मन से लेख कर बाद में साक्षीगण के हस्ताक्षर करवा लिये गये थे, प्र.पी.04 की कार्यवाही करते समय सी.सी.टी.वी. फूटेज की सी.डी. प्रार्थी द्वारा नहीं दी गई थी, उसने बाद में उसी दस्तावेज में सी.डी. जप्त होने का उल्लेख दर्ज किया है, उसने सी.डी. जप्त होने का इंड्राज बाद में किया है, प्र.पी.04 में साक्षी लखनलाल एवं मुकेश के हस्ताक्षर उसने बाद में करवा लिया था, साक्षी उक्त कार्यवाही के समय उपस्थित नहीं थे, प्र.पी.08 के जप्ती पत्रक के अनुसार आरोपी से कोई सामग्री जप्त नहीं हुई थी, प्र.पी.08 में उल्लेखित सामग्री घटनास्थल से ही प्राप्त हुई थी, जिसे उसने प्रार्थी से मिलकर आरोपी से जप्त होना बताया है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्रार्थी द्वारा दी गई सी.सी.टी.वी. फूटेज की सी.डी. किस दिनांक से किस दिनांक तक की फूटेज है, उक्त संबंध में उसने प्रार्थी से कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया था, उसने सी.सी.टी.वी. फूटेज की सी.डी. सही होने व उससे कोई छेड़-छाड़ न होने के संबंध में उसने कोई फोरेसिक जांच करवाकर कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि साक्षी लखनलाल, योगेश, मुकेश, महेन्द्र सिंह, सुरेश, कृष्णा, प्रमोद के कथन उसने अपने मन से लेखबद्ध कर लिया था तथा उक्त साक्षीगण ने उसे कोई कथन नहीं दिये थे।

20— प्रकरण पूर्णतः अपुष्ट साक्ष्य पर आधारित है, क्योंकि घटनास्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति के संबंध में कोई समुचित साक्ष्य नहीं है। अभियोजन द्वारा पहचान पंचनामा प्र.पी.10 में सी.सी.टी.वी. फूटेज को मोबाईल पर दिखाकर अभियुक्त की पहचान करना बताया गया है, जबकि उक्त पंचनामा के साक्षीगण ने अभियुक्त को पहचानने से ही इंकार किया है। इसी तरह मेमोरेन्डम प्र.पी.07 तथा जप्ती पत्रक प्र.पी.08 के साक्षीगण भी पक्षद्रोही रहे हैं। प्रकरण में अभियोजन द्वारा रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा घटनास्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति संदिग्ध है। ऐसी स्थिति में अपुष्ट साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं है। फलतः यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि गृह भेदन कर फरियादी अशोक कुदरिया शाखा प्रबंधक के आधिपत्य के सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक बिरसा में लॉकर का हैंडल तोड़कर रकम/दस्तावेज चुराने का प्रयत्न किया। अतः अभियुक्त लालजी मरकाम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 380

सहपठित धारा-511 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

21- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लोहे की पट्टी कटी, एक लोहे का कुंदा, लॉकर सेफ का टूटा हुआ कुंदा, दीवार से टूटा हुआ सी.सी. टी.वी. कैमरा, एक भूरे रंग का ईनर(जरकिन) तथा एक पीले रंग का नेकर मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे तथा सी.सी.टी.वी. फुटेज की सी.डी. प्रकरण के साथ संलग्न की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

22- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक आरी पत्ती, एक लोहे की सबल रॉड को तोड़कर नीलाम कर राशि राजकोष में जमा की जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

23- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक कार्बन कंपनी का काले रंग का मोबाईल उसके स्वामी को विधिवत प्रदान किया जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

24- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

25- अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान दिनांक 24.12.2015 से दिनांक 06.01.2016 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है, इस संबंध में धारा-428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे बोलने पर टंकित किया।

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

बैहर, बालाघाट (म.प्र.)